


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28( )परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.श्रीडूंगरगढ़/एसीबी.प्रकरण/2017/4326 जयपुर,दिनांक: 17.11.17

:: आदेश ::


श्री महावीर प्रसाद शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पं.स. श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चुरु के द्वारा दिनांक 28.10.2017 को रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगें हाथों गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 298/2017 पंजीबद्ध की गई हैं।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री महावीर प्रसाद शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी को गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 28.10.2017 से निलम्बित माने जाने के (Deemand to have been suspended) एतद्वारा आदेश प्रदान करती है। निलम्बन काल के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय जिला परिषद चुरु में रहेगा।

  
(नवीन महाजन)  
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भनिब/अशा/3/17/2291-93 दिनांक 30.10.2017 के क्रम में।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चुरु।
7. मुख्य /अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर, चुरु
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
9. श्री महावीर प्रसाद शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पं.स. श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)।
10. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त